न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 01/2015

राजस्थान सरकार जरिये मिठ्ठन लाल चौधरी प्रर्वतन निरीक्षक, केकडी।.....*प्रार्थी*

बनाम

श्री मुन्नालाल लोढा, डीलर उचित मूल्य दुकान भिनाय,
तहसील–भिनाय जिला अजमेर

.....*अप्रार्थी*

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित ;. 1.श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी प्रर्वतन अधिकारी — पैरोकार सरकार
2.श्री उत्तम गुरूबक्षानी — अभिभाषक अप्रार्थी

आदेश **28.12.2016**

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) अजमेर के साथ दिनांक 31.12.2014 को श्री मुन्नालाल लोढा उचित मूल्य दुकान भिनाय का आकस्मिक निरीक्षण डीलर की उपस्थिति में किया गया। डीलर के केरोसीन वितरण रजिस्टर में केरोसीन वितरण की मात्रा व दर का इन्द्राज नहीं पाया गया। केरोसीन स्टाक रजिस्टर में दिनांक 31.12.2014 का प्रारम्भिक स्टॉक 01 लीटर दर्ज पाया गया जबकि भौतिक सत्यापन में 157 लीटर केरोसीन स्टॉक में अधिक भण्डारित पाया गया। स्टेट बैंक बी.पी.एल गैहूँ लेवी चीनी अन्तयोदय गैहूँ का दिनांक 21 से 24.12.2014 तक वितरण नहीं किया जाना पाया गया। चीनी स्टॉक रजिस्टर में चीनी वितरण किस माह की प्राप्त की गई इसका भी इन्द्राज नहीं किया गया। मौके पर उचित मूल्य दुकान पर स्टाक से अधिक पाये गये 157 लीटर केरोसीन को राजहित में कब्जेराज लेकर श्री तेजमल माली उचित मूल्य दुकान भिनाय को सुपुर्दगी में दिया गया। वजह सबूत स्टॉक रजिस्टर–4 एवं केरोसीन वितरण रजिस्टर–01 को कब्जेराज लिया गया। इस प्रकार उचित मूल्य दुकानदार द्वारा कालाबाजारी के उद्धेश्य से स्टॉक से 157 लीटर अधिक केरोसीन भण्डारण कर एवं केरोसीन वितरण रजिस्टर मे मात्रा एवं दर नहीं लिखकर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 एवं जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं0 5; 10, 11, 17 (सी) का उल्लघंन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः कब्जे राज लिया गया अधिशेष केरोसीन 157 लीटर को अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने हेतु यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आये, जवाब नोटिस प्रस्तुत किया। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते सुनवाई नियत की गई। उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया ।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी श्री मुन्नालाल लोढा उचित मूल्य दुकानदार भिनाय द्वारा रेकार्ड में फर्जी इन्द्रोजात करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अर्न्तगत मात्र राशन कार्ड पर वितरित होने वाले नीले केरोसीन को कालाबाजारी के उद्धेश्य से स्टॉक से 157 लीटर केरोसीन

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

जमा कर एवं केरोसीन वितरण रजिस्टर मे मात्रा एवं दर नहीं लिखकर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 एवं जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं0 5, 10, 11, 17 (सी) का उल्लघंन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर कब्जे राज लिया गया अधिशेष केरोसीन 157 लीटर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने के आदेश प्रदान करावे।

जवाब में अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने जवाब नोटिस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि दिनांक 31.12.2014 को केरोसीन स्टॉक रजिस्टर में प्रारम्भिक स्टॉक 01 लीटर था चूंकि अप्रार्थी की दुकान के उपभोक्ता दिनांक 23.12.2014 व 24.12.2014 को केरोसीन लेने आये किन्तु भीडभाड के कारण मजदूरी पर जाने की जल्दी में उनके द्वारा अपने राशन कार्ड में इन्द्राज करने एवं केरोसीन बाद में आकर लेने के लिए कहा गया। बार–बार कहने पर अप्राथी द्वारा उनके राशन कार्ड अपने पास रख लिए व दिनांक 30 व 31.12.2014 को केरोसीन आकर ले जाने के लिए कहा। अप्रार्थी को भी विवाह समारोह में शामिल होने के लिए बाहर जाना था। स्टेट बीपीएल का गैहूँ, लेवी चीनी अन्तयोदय गैहूँ का वितरण 21.12.2014 से पूर्व ही संबधित उपभोक्ताओं को वितरण कर दिया गया था। उपभोक्ता पखवाडा प्रत्येक माह की 10 से 24 तारीख का होता है। इसकी पुष्टि वितरण रजिस्टर से भी होती है। स्टॉक रजिस्टर में चीनी का इन्द्राज बिल नम्बर व तारीख अंकित कर किया जाता है। स्टॉक रजिस्टर में उपर माह का नाम सहवन से लिखना रहा गया इसमें अप्रार्थी की की कोई बदनीयती नहीं है, यह मानवीय भूल कही जा सकती है। स्टाक से अधिक बताया गया केरोसीन उपभोक्ताओं का है जो उनको वितरण किया जाना है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाते हुए जब्त केरोसीन अप्रार्थी को लोटाये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। फर्द मौका एवं जब्ती रिपोर्ट से उचित मूल्य दुकानदार द्वारा रेकार्ड में फर्जी इन्द्राजात करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अर्न्तगत मात्र राशन कार्ड पर वितरित होने वाले केरोसीन को स्वंय के लाभ हेतु बचाकर इसे उॅचें दामों में बेचने का प्रयास किया जाना साफ जाहिर है। इस प्रकार उचित मूल्य दुकानदार द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 एवं जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं0 5, 10, 11, 17 (सी) का उल्लघंन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर कब्जे राज लिया गया अधिशेष केरोसीन 157 लीटर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी, अजमेर राजसात किये गये केरोसीन का नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त रशि नियमानुसार राज्य कोष में जमा करावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 28.12..2016 को सरे इजलास सुनाया गया।

28/12/16

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर।

Scanned by CamScanner